न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः—83 / 2025
जी.सी.एम.एस नं.—2025 / 161

मीतासिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— **वादी**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————**प्रतिवादी**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—

1. श्री रमेश कुमार सोलंकी एडवोकेट वादी की ओर से
2. राज पैरोकार प्रतिवादी की ओर

—:: निर्णय ::— दिनांकः— 30/04/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सयुक्तं खाता कृषि भूमि वाके चक 5 एल एस एम (ए) तहसील अनूपगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 के खाता संख्या नया 29 पुराना 27 का पं. सं.—300 / 384 मु.नं.—2 के क्रि.नं.—3, 4, 5, 6, 7, 8 की कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं अन्य सह खातेदारान के नाम से सयुक्तं रूप से दर्ज है जिसमें से 1 / 7 हिस्सा वादी के नाम मलकीतसिहं पुत्र कौरसिंह जाति अरोड़ा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम मीतासिंह पुत्र कौरसिंह है लेकिन वादी का घरेलू नाम मलकीत होने के कारण वादी को घर पर रिश्तेदारी में दोनो नामो मलकीतसिहं व मीतासिंह के नाम से जानते व पुकारते थे। वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि उक्त सयुक्तं खाता की कृषि भूमि वादी के पिता कौरसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता कौरसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यू उपरांत उक्त कृषि भूमि वादी व अन्य वारिसो को विरारस्तन प्राप्त होकर सयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है चूकि वादी के पिता की मृत्यू उपरांत वादी के परिवार के सदस्यों द्वारा विरारस्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए जो वारिस नामा ग्राम पंचायत से जारी करवाया गया उसमें सहबन से वादी के सही नाम मीतासिंह के बजाय वादी का घरेलू नाम मलकीतसिंह अंकित करवा दिया गया था व उसी आधार पर आगे विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मीतासिंह के स्थान पर मलकीतसिहं दर्ज हो गया था वादी व वादी का परिवार ग्रामिण परिवेश का था। वादी भी ग्रामिण परिवेश का होने का काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वारिसनामा के समय वादी के परिवार के सदस्यो की भूलवश सहबन से वादी का घरेलू नाम मलकीतसिंह पुत्र कौरसिंह दर्ज कर दिया गया था तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मलकीतसिहं पुत्र कौरसिहं के नाम से दर्ज हुआ जो कि एक सदभाविक व मानवीय भुल है। वादी का सही वा वास्तविक नाम मीतासिंह पुत्र कौरसिंह है तथा वादी का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई श्रम कार्ड [illegible] राशन कार्ड आदि जिनकी प्रतियां सलग्नं है, में वादी का नाम मीतासिहं पुत्र कौरसंह दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम मलकीतसिंह के नाम से पुकारते थे इसलिए [illegible] का नाम वादी के परिवार के सदस्यो द्वारा वारिसनामा में वादी का [illegible] करवा दिया गया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम मीतासिह ही है इस प्रकार मीतासिहं व मलकीतसिहं वादी के ही नाम है तथा वादी को इन दोनो नामो से ही जाना व पुकारा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अतः कृषि भूमि वाके चक 5 एल एस एम (ए) तहसील अनूपगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 29 पुराना 27 का प.सं.–300/384 मु.नं.–2 के कि.नं.–3, 4, 5, 6, 7, 8 की कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जो वादी के नाम सयुक्तं रूप से दर्ज है जिसमें से 1/7 हिस्सा जो मलकीतसिंह पुत्र कौरसिंह के नाम से दर्ज है, के सबंध में वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर मीतासिंह पुत्र कौरसिंह के नाम से घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी का नाम मीतासिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम परिवर्तन मलकीतसिंह से मीतासिंह किये जांने के सम्बधित तथ्यो की मौका जाचं सलग्न फर्द मौका व सरंपच 21 एस जे एम खोखरावाली तस्दीक रिपोर्ट अनुसार मीतासिंह व मलकीतसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। तथा ग्राम पचांयत 21 एस जे एम (खोखरांवाली) द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08.08.2025 को प्रार्थी मीतासिंह उर्फ मलकीतसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 एस जे एम का रहने वाला है। प्रार्थी का स्वयं के आवश्यक दस्तावेजो में नाम मीतासिंह है व जमीन जमाबदी में मलकीतसिंह है जो कि दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमाकः–1229/दिनांक 19.12.2025, ग्राम पंचायत 21 एस जे एम (खोखरावाली) जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 03.12.2025, वादी स्वय का शपथ पत्र दिनांक 08.10.2025 के आधार पर वादी का नाम मलकीतसिंह पुत्र कौरसिंह के स्थान पर मलकीतसिंह उर्फ मीतासिंह पुत्र कौरसिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं अतं एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 5 एल एस एम (ए) तहसील अनूपगए का मुरब्बा नं.–2 पत्थर नं.–300/384 का किला नं.–3, 4, 5, 6, 7, 8, की कुल 1.518 हैक्टर वादी का हिस्सा 1/7 खातेदार कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम मलकीतसिंह पुत्र कौरसिंह के स्थान पर मलकीतसिंह उर्फ मीतासिंह पुत्र कौरसिंह का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को खुंले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:18 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर